भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3287

जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 अगस्त, 2026/16 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की समय पर उपलब्धता

3287. डा. आलोक कुमार सुमन:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देशभर के किसानों हेतु उर्वरकों की उपलब्धता के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख उर्वरकों का राज्य-वार और वर्ष-वार उत्पादन, आवंटन और वितरण कितना है;
(ख) क्या उर्वरकों की किसी कमी की सूचना मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;
(ग) उक्त अवधि के दौरान उर्वरकों पर दी गई राजसहायता का ब्यौरा क्या है;
(घ) उर्वरकों के संतुलित एवं कुशल उपयोग को बढ़ावा देने तथा वैकल्पिक पोषक तत्वों के स्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ड.) सरकार द्वारा किसानों को उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड.): देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(ii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iii) यूरिया और अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) और उत्पादन के अंतर को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। मौसम के लिए आयात को पहले ही निश्चित कर लिया जाता है ताकि समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

(v) राज्यों के लिए रेलगाड़ियों के पर्याप्त रैक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और रेलगाड़ियों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय किया जाता है।

(vi) राज्य के भीतर जिला/ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त को देखते हुए, चल रहे खरीफ मौसम 2026 के दौरान देश में उर्वरकों, अर्थात यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है। पिछले 3 वर्षों में और चल रहे खरीफ मौसम 2026 (03.08.2026 तक) के दौरान इन उर्वरकों की उपलब्धता की स्थिति के संबंध में राज्य-वार जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

पिछले 3 वर्षों 2023-24 से 2025-26 तक के दौरान देश में यूरिया, डीएपी और एनपीके उर्वरकों के उत्पादन के बारे में जानकारी निम्नानुसार है:

पिछले तीन वर्षों में देश में यूरिया, डीएपी और एनपीकेएस का उत्पादन			
			आंकड़े एलएमटी में
वर्ष	**यूरिया**	**डीएपी**	**एनपीकेएस**
2023-24	314.09	42.97	101.85
2024-25	306.67	37.72	121.05
2025-26	293.26	39.14	128.37
स्रोत : dbtfert.nic.in			
एमओपी का घरेलू स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है।			
एनपीके में मिश्रित उर्वरक और अमोनियम सल्फेट शामिल हैं।			

पिछले तीन वर्षों अर्थात 2023-24 से 2025-26 तक के दौरान सरकार द्वारा संवितरित कुल उर्वरक सब्सिडी का विवरण निम्नानुसार है:

			(आंकड़े करोड़ रूपए में)
वित्तीय वर्ष	2023-24	2024-25	2025-26
संवितरित राशि	195420.51	177129.50	217175.73

इसके अलावा, सरकार सिंथेटिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने, जैविक/प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करने के माध्यम से उर्वरकों के संधारणीय और संतुलित उपयोग को बढ़ावा दे रही है। जैविक उर्वरक और जैव उर्वरकों के संयोजन वाली मृदा परीक्षण आधारित सिफारिशों में उर्वरकों के संतुलित उपयोग की कुंजी है। इसके अलावा, सरकार विभिन्न स्कीमों जैसे राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), नमामि गंगे, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी), उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर), राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना (एनपीओएफ) आदि को लागू कर रही है, किसानों को जैविक और जैव उर्वरकों के उपयोग के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र (एनसीओएफ) जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता सृजन और प्रशिक्षण गतिविधियां करवाता है। संतुलित उर्वरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता होती है जो नीति, प्रौद्योगिकी और किसानों की भागीदारी को एकीकृत करती है। उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं:

i. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता स्कीम के तहत उर्वरक के संतुलित उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है, जो 2014-15 से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत, मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) तैयार किए जाते हैं जो मृदा की पोषक स्थिति प्रदान करते हैं, जिसके आधार पर किसानों को फसल-वार उर्वरक सिफारिशें प्रदान की जाती हैं, जिससे संतुलित और कुशल पोषक प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड फसल उत्पादकता बढ़ाने, खेती की लागत को कम करने और संधारणीय कृषि को बढ़ावा देने में मदद करता है। अब तक, 26.09 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार किए गए हैं और किसानों को जारी किए गए हैं। देश भर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड सिफारिशों पर 130627 किसान प्रशिक्षण, 7.17 लाख प्रदर्शन, 7425 किसान मेलों/अभियानों का आयोजन किया गया है।

ii. प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएनएफ) को 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। एनएमएनएफ खेत पर इनपुट का उपयोग करके रासायनिक-मुक्त, प्रकृति-आधारित खेती पद्धतियों को बढ़ावा देता है। इस स्कीम के तहत 23.13 लाख किसान पंजीकृत हैं और 11.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।

iii. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और आईसीएआर द्वारा वर्तमान खरीफ मौसम 2026 के दौरान उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर विशेष जागरूकता अभियान और खेत बचाओ अभियान चलाया गया है, जिसमें कुल 2,94,554 कार्यक्रमों के माध्यम से 1,36,73,465 किसानों को शामिल किया गया है। अभियान के दौरान किसानों को प्राकृतिक/जैविक खेती, जैव-इनपुट, वैकल्पिक उर्वरक आदि के बारे में भी जागरूक किया गया है।

iv. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई): 2015-16 से कार्यान्वित, पीकेवीवाई उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन को कवर करते हुए एंड-टू-एंड समर्थन प्रदान करके जैविक खेती को बढ़ावा देता है। अब तक 18.93 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है, जिससे 33.63 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

v. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीईएनईआर): 2015-16 से, पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। अब तक 2.36 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है, जिससे 2.74 लाख किसानों को लाभ हुआ है।

vi. सरकार उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के एक भाग के रूप में मृदा कार्बन संवर्धक अर्थात् किण्वित जैविक खाद (एफओएम)/तरल किण्वित जैविक खाद (एलएफओएम) को भी बढ़ावा देती है। 2024-25

के दौरान, एफओएम/एलएफओएम की वार्षिक खपत 3.36 एलएमटी थी। वर्तमान खरीफ मौसम (1.4.2026 से 16.7.2026) के दौरान, एफओएम/एलएफओएम की खपत 11.86 एलएमटी है।

इसके अलावा, इस स्कीम के तहत 1451.84 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26) के कुल परिव्यय के साथ गोबरधन स्कीम के तहत संयंत्रों में उत्पादित किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एफओएम)/तरल किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एलएफओएम) जैसे मृदा में कार्बन वर्धकों और फॉस्फेट समृद्ध ऑर्गेनिक खाद (पीआरओएम) जैसे ऑर्गेनिक उर्वरकों के संवर्धन हेतु 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) प्रदान की जा रही है जिसमें रिसर्च गैप फंडिंग आदि के लिए 360 करोड़ रुपए की कार्पस निधि भी शामिल है।

सरकार की इन पहलों से रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग का समाधान होने की उम्मीद है जिससे रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम होगा।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष 06.08.2026 तक के दौरान एफओएम/एलएफओएम/पीआरओएम की बिक्री पर जारी वर्षवार एमडीए निम्नानुसार है:

वर्ष	**जारी की गई एमडीए (रूपए करोड़ों में)**
2023-24	0.00
2024-25	28.00
2025-26	100.00
2026-27 (06.08.2026 तक)	75.00
कुल	**203.00**

इसके अलावा, देश भर के किसानों के बीच नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- नैनो उर्वरकों के उपयोग को विभिन्न गतिविधियों जैसे जागरूकता शिविरों, वेबिनार, क्षेत्रीय प्रदर्शनों, किसान सम्मेलनों और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों आदि के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।
- नैनो उर्वरक जैसे नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, संबंधित कंपनियों द्वारा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
- पर्ण अनुप्रयोग के माध्यम से नैनो यूरिया जैसे उर्वरकों के सहज अनुप्रयोग और उपयोग के लिए, 'किसान ड्रोन' जैसे अभिनव छिड़काव विकल्प और खुदरा बिक्री केन्द्रों पर बैटरी संचालित स्प्रेयर के वितरण जैसी पहल की गई हैं। इस उद्देश्य के लिए, ग्राम स्तर के उद्यमियों के माध्यम से पायलट प्रशिक्षण और कस्टम हायरिंग छिड़काव सेवाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाता है।

इसके अलावा, उर्वरक कंपनियों द्वारा किसानों, स्थानीय किसान सहकारी समितियों, पंचायतों आदि के साथ व्यापक क्षेत्र संपर्क के लिए किसान संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। 24 उर्वरक विपणन कंपनियों (एफएमसी) ने फरवरी 2025 से जून 2026 के दौरान देश भर में 23,389 शिविर/किसान संगोष्ठियां आयोजित कीं। उर्वरक कंपनियों द्वारा पीएम-प्रणाम के तहत एफओएम/एलएफओएम/प्रोम के प्रचार के लिए शिविर/किसान संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल में उर्वरकों के संतुलित उपयोग, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम), जैविक खेती को बढ़ावा देने और मिट्टी

के स्वास्थ्य में सुधार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। किसानों के लिए जागरूकता गतिविधियों में एफओएम, एलएफओएम, पीआरओएम, शीरे से व्युत्पन्न पोटाश (पीडीएम) के अनुप्रयोग पर प्रदर्शन शामिल हैं। इन शिविरों में उर्वरक की उचित खुराक, फसल-विशिष्ट अनुप्रयोग तकनीकों और जैविक आदानों के लाभों पर तकनीकी सत्र भी शामिल हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य आईएनएम के बारे में किसानों की समझ को बढ़ाना, संतुलित पोषक तत्वों की पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और प्रदर्शन भूखंडों और किसानों से संवादात्मक बातचीत के माध्यम से पहुंच और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। सरकार इस स्कीम के तहत उनके प्रयासों का सहयोग और प्रोत्साहन करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के साथ नियमित रूप से समन्वय कर रही है।

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक 07.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.3287के उत्तर के भाग (क) और (ड.) से संबंधित है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उर्वरकों की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता और डीबीटी बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
क्र.सं	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.73	17.89	14.99	4.13	4.86	4.20	1.84	1.81	1.31	13.28	17.87	14.02
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.46	4.56	3.73	0.75	0.87	0.72	0.66	0.69	0.44	0.30	0.39	0.23
5	बिहार	22.63	27.46	23.24	6.82	7.78	6.51	2.28	1.75	1.39	4.50	6.09	4.39
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	8.40	11.37	8.99	3.10	5.28	4.34	0.66	0.97	0.60	1.07	1.90	1.30
8	दादरा और नगर हवेली	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.00	0.37	0.32	0.00	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.04	0.03	0.02
12	गुजरात	24.71	26.78	24.30	5.86	6.71	6.29	1.30	1.00	0.80	6.00	8.93	6.97
13	हरियाणा	20.63	24.86	21.77	5.60	6.29	5.83	0.55	0.50	0.36	1.20	0.64	0.44
14	हिमाचल प्रदेश	0.68	0.82	0.68	0.01	0.01	0.01	0.05	0.05	0.03	0.37	0.39	0.32
15	जम्मू और कश्मीर	1.40	2.01	1.45	0.55	0.59	0.44	0.32	0.24	0.16	0.03	0.00	0.00
16	झारखंड	2.47	3.74	3.04	1.02	1.06	0.94	0.21	0.03	0.03	0.41	0.46	0.33
17	कर्नाटक	16.10	21.02	15.65	5.90	8.13	6.42	2.45	1.97	1.54	16.50	21.09	15.84
18	केरल	1.19	1.13	0.96	0.20	0.18	0.16	0.97	0.87	0.70	1.42	1.56	1.26
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	33.46	41.73	34.37	14.22	17.81	15.50	0.87	1.05	0.67	5.40	6.99	5.41
21	महाराष्ट्र	23.74	31.06	23.48	7.00	8.93	7.36	3.00	2.18	1.42	26.50	34.08	23.04
22	मणिपुर	0.30	0.26	0.25	0.04	0.01	0.01	0.05	0.02	0.02	0.00	0.01	0.00
23	मेघालय	0.02	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.07	0.15	0.13	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	5.46	7.70	5.84	2.33	3.12	2.74	1.03	0.93	0.66	2.80	3.16	2.42
27	पुदुचेरी	0.16	0.15	0.13	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.10	0.07
28	पंजाब	29.48	37.35	30.68	8.00	8.23	7.24	0.85	0.62	0.50	1.50	1.02	0.73
29	राजस्थान	24.28	29.23	25.39	8.95	9.80	9.37	0.23	0.20	0.15	1.11	1.40	1.08
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.23	11.86	10.11	2.95	3.22	2.71	2.45	2.05	1.63	7.30	10.19	7.94
32	तेलंगाना	18.94	23.77	19.03	3.80	4.34	3.68	2.00	1.18	0.92	15.99	17.09	13.62
33	त्रिपुरा	0.24	0.26	0.14	0.05	0.04	0.03	0.07	0.06	0.02	0.02	0.03	0.02
34	उत्तराखंड	1.84	2.67	2.31	0.35	0.49	0.38	0.08	0.08	0.04	0.35	0.24	0.20
35	उत्तर प्रदेश	76.15	91.83	74.53	24.50	25.76	21.61	2.35	1.62	1.21	9.50	10.13	7.93
36	पश्चिम बंगाल	14.32	17.34	12.20	4.02	3.83	3.20	3.35	2.85	1.83	10.65	12.74	9.20
	अखिल भारत	**356.08**	**437.47**	**357.81**	**110.18**	**127.42**	**109.73**	**27.62**	**22.74**	**16.45**	**126.31**	**156.51**	**116.80**

यह अनुलग्नक 07.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.3287 के उत्तर के भाग (क) और (ड.) से संबंधित ह

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उर्वरकों की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता और डीबीटी बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

क्र.सं	राज्य	यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.90	18.68	15.70	4.30	4.80	4.34	1.50	2.38	1.71	16.00	18.36	15.78
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.28	4.48	4.10	0.61	0.70	0.62	0.47	0.80	0.57	0.55	0.63	0.48
5	बिहार	22.87	27.64	25.60	5.50	6.40	5.83	1.50	2.54	1.84	6.00	7.46	6.04
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	8.90	12.03	10.07	4.10	4.19	3.83	0.73	1.13	0.76	1.80	2.84	2.34
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.23	0.43	0.40	0.01	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.03	0.03
12	गुजरात	25.60	25.82	24.23	6.25	5.84	5.42	0.99	1.18	0.92	7.00	9.98	8.35
13	हरियाणा	21.50	25.32	22.65	5.80	5.49	5.34	0.60	0.74	0.47	1.70	1.31	1.03
14	हिमाचल प्रदेश	0.71	0.81	0.65	0.01	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	0.37	0.41	0.32
15	जम्मू और कश्मीर	1.48	2.05	1.36	0.49	0.58	0.43	0.22	0.26	0.14	0.04	0.02	0.01
16	झारखंड	2.65	4.11	3.73	0.90	0.87	0.84	0.06	0.05	0.03	0.65	1.08	0.85
17	कर्नाटक	17.25	22.63	19.17	5.64	6.55	5.86	1.95	3.08	2.21	16.20	25.46	20.90
18	केरल	1.11	1.37	1.15	0.17	0.21	0.20	0.82	1.06	0.83	1.37	1.50	1.26
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	35.38	42.43	38.09	16.57	12.70	11.66	1.05	1.59	1.08	8.50	11.94	9.77
21	महाराष्ट्र	23.73	32.72	26.41	7.50	7.13	6.47	2.30	3.45	2.22	30.00	37.86	28.79
22	मणिपुर	0.25	0.16	0.14	0.03	0.03	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
23	मेघालय	0.04	0.04	0.04	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.08	0.25	0.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	6.05	8.15	6.67	2.86	2.83	2.56	0.85	1.11	0.77	2.75	4.04	3.28
27	पुदुचेरी	0.16	0.16	0.15	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.07	0.11	0.08
28	पंजाब	26.50	36.70	32.56	8.10	6.99	6.61	1.00	1.06	0.71	2.50	1.73	1.41
29	राजस्थान	26.20	29.43	26.40	8.50	7.11	6.90	0.21	0.28	0.20	2.25	3.04	2.55
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.91	12.61	10.92	2.70	2.98	2.56	2.24	2.56	1.94	10.54	10.19	8.49
32	तेलंगाना	20.20	22.15	20.08	3.90	3.91	3.64	1.30	1.44	1.14	17.00	17.54	14.97
33	त्रिपुरा	0.18	0.24	0.17	0.04	0.03	0.02	0.03	0.06	0.04	0.04	0.04	0.03
34	उत्तराखंड	2.03	2.60	2.31	0.30	0.52	0.40	0.08	0.08	0.04	0.40	0.28	0.21
35	उत्तर प्रदेश	77.00	91.72	79.18	24.05	21.55	19.51	1.72	2.50	1.76	14.50	12.85	10.50
36	पश्चिम बंगाल	13.80	19.05	15.77	3.55	3.62	3.12	2.50	3.41	2.57	11.00	15.25	12.24
	अखिल भारत	**364.01**	**443.83**	**387.92**	**111.92**	**105.14**	**96.29**	**22.21**	**30.85**	**22.02**	**151.29**	**183.98**	**149.72**

1. सुविधाजनक उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता

2. सुविधाजनक उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > डीबीटी बिक्री

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उर्वरकों की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता और डीबीटी बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
क्र.सं	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	15.60	19.22	17.06	4.80	6.32	5.45	1.70	2.22	1.82	15.80	19.06	15.59
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	3.35	5.13	4.60	0.56	0.95	0.72	0.57	0.78	0.55	0.58	0.55	0.40
5	बिहार	23.82	28.12	25.33	6.10	8.04	6.57	2.00	2.23	1.80	6.00	8.01	5.89
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	10.00	12.41	9.81	4.10	4.29	3.25	1.10	1.33	0.82	2.40	4.34	2.57
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.26	0.25	0.21	0.05	0.05	0.05	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
11	गोवा	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.03	0.03
12	गुजरात	25.02	25.95	23.99	6.30	5.82	5.32	1.09	1.16	0.95	7.45	10.18	8.28
13	हरियाणा	21.67	26.08	23.20	5.53	6.10	5.46	0.58	0.67	0.44	1.57	1.10	0.82
14	हिमाचल प्रदेश	0.66	0.94	0.79	0.02	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.41	0.37	0.28
15	जम्मू और कश्मीर	1.46	2.24	1.60	0.46	0.61	0.43	0.21	0.35	0.21	0.03	0.06	0.02
16	झारखंड	2.90	3.73	3.22	0.80	1.13	0.93	0.07	0.07	0.05	0.65	1.02	0.76
17	कर्नाटक	18.77	21.55	18.85	5.98	7.79	6.09	2.27	3.25	2.46	17.10	27.20	21.35
18	केरल	1.14	1.30	1.14	0.20	0.31	0.22	0.90	1.07	0.87	1.30	1.60	1.25
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	40.42	47.16	42.43	15.00	13.09	11.47	1.50	1.51	1.08	16.50	14.70	11.16
21	महाराष्ट्र	26.77	32.37	27.27	7.20	8.06	5.81	2.70	3.37	2.55	30.00	41.95	29.63
22	मणिपुर	0.20	0.24	0.19	0.03	0.05	0.04	0.06	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02
23	मेघालय	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.07	0.11	0.11	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
26	ओडिशा	6.20	8.94	7.26	2.75	3.42	2.78	0.85	1.11	0.74	3.30	4.39	3.57
27	पुदुचेरी	0.15	0.15	0.14	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.09	0.11	0.08
28	पंजाब	29.92	35.36	31.39	7.35	8.13	6.66	1.10	1.02	0.61	2.00	1.67	1.29
29	राजस्थान	25.52	31.94	28.05	8.43	8.61	7.80	0.20	0.23	0.18	3.00	3.24	2.56
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	10.87	12.80	11.43	2.95	3.46	2.89	2.60	2.35	2.02	9.25	11.08	8.73
32	तेलंगाना	20.20	21.80	20.94	3.85	4.92	4.38	1.20	1.38	1.04	17.00	18.44	14.74
33	त्रिपुरा	0.18	0.24	0.17	0.03	0.05	0.03	0.04	0.05	0.02	0.05	0.05	0.03
34	उत्तराखंड	2.01	2.49	2.21	0.30	0.67	0.48	0.07	0.09	0.04	0.35	0.21	0.17
35	उत्तर प्रदेश	79.92	91.75	80.37	24.00	25.30	20.25	2.75	2.89	1.91	12.50	14.80	10.01
36	पश्चिम बंगाल	14.30	18.43	14.76	3.59	4.47	3.65	3.20	3.35	2.34	11.10	14.80	11.14
	अखिल भारत	**381.45**	**450.79**	**396.60**	**110.42**	**121.72**	**100.80**	**26.82**	**30.58**	**22.56**	**158.49**	**198.97**	**150.37**

1. सुविधाजनक उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता

2. सुविधाजनक उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता >डीबीटी बिक्री

यह अनुलग्नक 31.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.3287 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) से संबंधित है।

चल रहे खरीफ़ मौसम 2026 (01.04.2026 से 03.08.2026 तक) के दौरान उर्वरकों की राज्यवार आवश्यकता, उपलब्धता, डीबीटी बिक्री और अंतिम स्टॉक

आंकड़े एलएमटी में

क्र.सं	राज्य	यूरिया				डीएपी				एमओपी				एनपीकेएस			
		आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	31.08.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	31.08.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	31.08.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	31.08.26 के अनुसार अंतिम स्टॉक
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	4.07	6.92	3.18	3.75	0.93	1.91	1.00	0.91	0.45	0.81	0.35	0.46	2.45	7.09	3.00	4.09
3	अरुणाचल प्रदेश	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.39	2.22	1.85	0.37	0.23	0.42	0.30	0.12	0.15	0.43	0.22	0.20	0.14	0.28	0.12	0.16
5	बिहार	5.33	8.89	4.46	4.42	1.72	2.46	1.09	1.37	0.90	0.86	0.16	0.70	2.03	3.40	0.90	2.50
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	6.15	7.71	5.58	2.13	2.60	2.13	1.59	0.54	0.66	0.84	0.54	0.30	2.10	2.39	1.69	0.70
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.02	0.10	0.09	0.01	0.00	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00
12	गुजरात	6.84	9.20	6.78	2.41	2.63	2.35	1.75	0.60	0.33	0.43	0.23	0.20	3.54	4.37	2.56	1.82
13	हरियाणा	6.87	10.41	8.44	1.97	1.37	1.76	1.28	0.48	0.46	0.38	0.15	0.23	0.36	0.49	0.17	0.32
14	हिमाचल प्रदेश	0.19	0.45	0.31	0.14	0.01	0.03	0.01	0.02	0.00	0.02	0.00	0.01	0.10	0.09	0.06	0.03
15	जम्मू और कश्मीर	0.63	1.15	0.82	0.34	0.18	0.29	0.20	0.09	0.08	0.15	0.11	0.04	0.02	0.06	0.03	0.04
16	झारखंड	1.53	2.25	1.28	0.97	0.45	0.43	0.29	0.15	0.05	0.06	0.01	0.05	0.55	0.62	0.33	0.29
17	कर्नाटक	7.16	9.54	5.31	4.23	2.91	3.46	2.54	0.93	1.42	1.65	0.86	0.79	8.14	12.87	7.62	5.25
18	केरल	0.34	0.73	0.44	0.29	0.07	0.18	0.10	0.07	0.24	0.51	0.32	0.19	0.57	0.60	0.36	0.24
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	11.39	15.81	10.89	4.92	3.89	3.57	2.59	0.98	0.81	0.61	0.30	0.31	4.60	6.93	3.86	3.07
21	महाराष्ट्र	11.18	15.44	10.40	5.04	3.72	4.00	2.93	1.07	0.96	1.91	0.97	0.94	13.08	22.46	13.20	9.25
22	मणिपुर	0.11	0.18	0.13	0.05	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01
23	मेघालय	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.03	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	3.33	4.62	2.38	2.24	1.47	1.69	1.07	0.62	0.66	0.80	0.28	0.52	2.02	2.41	1.15	1.26
27	पुदुचेरी	0.04	0.06	0.05	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.05	0.03	0.02
28	पंजाब	12.60	16.28	13.18	3.10	1.66	2.61	1.49	1.12	0.62	0.64	0.24	0.41	0.51	0.61	0.21	0.41
29	राजस्थान	7.10	11.89	8.61	3.28	3.35	2.75	2.17	0.58	0.05	0.15	0.05	0.10	0.83	1.43	0.70	0.73
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	2.96	4.93	3.19	1.74	0.86	1.17	0.64	0.53	0.66	0.76	0.44	0.33	2.95	3.94	2.14	1.80
32	तेलंगाना	7.65	8.43	4.83	3.60	2.12	2.25	1.89	0.36	0.62	0.56	0.17	0.39	7.60	8.12	5.08	3.04
33	त्रिपुरा	0.05	0.13	0.05	0.08	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02
34	उत्तराखंड	0.75	0.98	0.80	0.18	0.15	0.30	0.15	0.14	0.04	0.05	0.01	0.05	0.12	0.04	0.02	0.02
35	उत्तर प्रदेश	27.70	37.60	23.73	13.87	5.83	9.25	4.44	4.80	1.65	1.39	0.27	1.12	2.35	6.59	1.57	5.02
36	पश्चिम बंगाल	**3.76**	**7.84**	**3.89**	**3.95**	**0.92**	**1.50**	**0.70**	**0.80**	**0.89**	**1.56**	**0.46**	**1.11**	**2.42**	**5.92**	**2.19**	**3.74**
	अखिल भारत	**129.21**	**183.84**	**120.73**	**63.12**	**37.17**	**44.60**	**28.28**	**16.33**	**11.75**	**14.62**	**6.16**	**8.48**	**56.57**	**90.84**	**47.03**	**43.82**